



2026:AHC:30947

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 5494/2026

अली शेर

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 26 अन्य

.....विपक्षीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: इन्द्रकेश कुमार शर्मा, राज कुमार

विपक्षी के अधिवक्ता

: सी.एस.सी. , सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, विपक्षी/विपक्षियों को नोटिस भेजने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालाँकि, यदि विपक्षी/विपक्षीगण इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन चाहने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान याचिका में मांगी गई मूल राहत विपक्षी संख्या 2-उप-जिलाधिकारी, तहसील-रुद्रपुर, जिला देवरिया को वाद संख्या 2736/2024, कंप्यूटरीकृत संख्या टी202405200302736 को शीघ्र निस्तारित करने का निर्देश देने की है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि काफी समय पहले ही व्यतीत हो चुका है लेकिन आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को संबंधित न्यायालय को उपरोक्त वाद को कानून के अनुसार सख्ती से और बिना किसी अनावश्यक स्थगन के शीघ्र निस्तारित करने का निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है, बशर्ते कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

फरवरी 11, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”